

**कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)**

क्र./ 449 / मबावि / सावि / 2026-27

बिलासपुर दिनांक

18/05/26

// विज्ञापन //

**मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केन्द्र (District Hub For Empowerment of Women)  
के संचालन हेतु संविदा स्वीकृत पदों में नियुक्ति हेतु विज्ञापन।**

भारत सरकार ने एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम अंतर्गत महिलाओं के सुरक्षा संरक्षण एवं सशक्तिकरण हेतु एक अम्ब्रेला योजना "मिशन शक्ति" की शुरुआत की है। मिशन शक्ति के अंतर्गत जिला स्तर पर जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केन्द्र हब (DHEW) (District Hub For Empowerment of Women) स्थापित किया जाना है। मिशन शक्ति के दिशा निर्देशों के अनुसार जिला स्तरीय हब हेतु बिलासपुर जिले के लिए भारत शासन की स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा जिला स्तरीय हब हेतु संशोधित स्वीकृति प्राप्त की गई है। तदनुसार वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के 02 पद को विलोपित कर 01 पद आई.टी. असिस्टेंट रखा गया है। 01 पद आई.टी. असिस्टेंट एकमुश्त/संविदा वेतन पद के सृजन एवं इनके भरे जाने हेतु पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर से कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर छ.ग. में तिथि दिनांक 22.5.26 से 25.5.26 तक कार्यालयीन समय 05.30 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। पद का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	पद का विवरण			वेतन मैट्रिक्स लेवल	निर्धारित एकमुश्त/संविदा मासिक वेतन
		UR	SC	योग		
1	आई.टी. असिस्टेंट	01	00	01	7	20900/-
योग :-		01	00	01	-	-

1. चयन हेतु अर्हताएं, मापदण्ड एवं अन्य शर्तें :-

**जिला स्तरीय (DHEW) हेतु शैक्षणिक योग्यता, अनिवार्य कौशल, अनिवार्य अनुभव :-**

क्र.	पदनाम	अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	अनिवार्य कौशल	अनिवार्य न्यूनतम अनुभव
1	2	3	4	5
2	आई.टी. असिस्टेंट	कम्प्यूटर/आई.टी. क्षेत्र में स्नातक उपाधि।	डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फार्मेट में कार्य करने की क्षमता	<ul style="list-style-type: none"> <li>डाटा प्रबंधन/प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन, वेब आधारित एवं वेबबेस्ड रिपोर्टिंग फार्मेट में कार्य करने का शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कम से कम 03 वर्षों का अनुभव</li> </ul>

शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जायेगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए।



## 2. आयु सीमा :-

- जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी की आयु सीमा में छूट के संबंध में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप छूट की पात्रता होगी किन्तु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 01.01.2026 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। इन पदों हेतु इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप आयु की छूट की पात्रता होगी, किन्तु सभी छूटों को मिलाकर उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
  - आयु के सत्यापन/समर्थन हेतु जन्म प्रमाण-पत्र या कक्षा 8 वीं, 10 वीं, की अंक सूची जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, के आधार पर किया जावेगा। दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित प्रति लाना अनिवार्य होगा।
- 2.1 जेण्डर विशेषज्ञ, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ तथा वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ पद हेतु छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं है, किन्तु छत्तीसगढ़ राज्य के निवासियों के आवेदन करने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी, इस हेतु मेरिट निर्धारण के अंकीय प्रणाली में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इन पदों हेतु 02 पद बोनस अंक दिया जाएगा।
- शेष पदों पर अभ्यर्थी को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र ही मान्य किए जावेंगे।
- 2.2 आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य करना होगा।
- 2.3 कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी। चयन होने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी को रु 50/- के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित तत्संबंधी शपथ-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही एक पति/पत्नी जीवित हो, पात्र नहीं होगा/होगी। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है। अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- 2.4 आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा किया जावे। आवेदन पत्र के साथ वांछित प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची व अन्य दस्तावेज राजपत्रित अधिकारी/स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित/सत्यापित होना चाहिए।
- 2.5 अनुभव के संबंध में अभ्यर्थी को संबंधित संस्था के नियोक्ता द्वारा जारी पूर्णकालिक कार्यानुभव राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा। अनुभव प्रमाण पत्र की प्रमाणितकर्ता का परीक्षण अनिवार्यतः किया जावे।
- 2.6 आवेदक द्वारा आवेदन में दिए गए अनुभव को मान्य करने के संबंध में नियुक्ति अधिकारी (जिला कलेक्टर) का निर्णय ही अंतिम होगा।

- 2.7 किसी भी प्रकार का स्वैच्छिक सेवा का प्रमाण पत्र अनुभव के रूप में मान्य नहीं किया जावेगा।
- 2.8 शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर सरकारी संगठन में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन पत्र को नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण-पत्र सहित प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। अर्द्धशासकीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र में संस्था को यदि किसी विभाग से अनुदान प्राप्त हुआ है तो उस विभाग के सक्षम अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर युक्त अनुभव/अनापत्ति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।
- 2.9 अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में उम्मीदवारों को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जावेगी एवं ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे। निर्धारित योग्यता ना रखने वाले उम्मीदवार कृपया आवेदन ना करें।
- 2.10 प्रत्येक पद के लिए पृथक-पृथक आवेदन देना होगा। लिफाफे के ऊपर एवं आवेदन पत्र में पद का नाम, जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है, स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है। लिफाफे के ऊपर व आवेदन पत्र में प्रेषक का नाम एवं पत्र व्यवहार का पूर्ण पता (ई-मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर सहित) आवश्यक रूप से अंकित होना चाहिए।
- 2.11 आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर ले तथा विज्ञापित पद के लिये निर्धारित अर्हता एवं शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजे। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अयोग्य पाये जाने पर उनका आवेदन पत्र निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी समाप्त की जा सकेगी।
- 2.12 उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार करते हुए वॉक-इन/इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा (आवश्यक हो तो) के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जावेगी। केवल विशेष प्रकरण में योग्य आवेदक न मिलने पर ही संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुमति के उपरान्त ही अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में शिथिलता दी जा सकेगी।
- 2.13 आवेदन पत्र पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से ही निर्धारित की गयी तिथि तक स्वीकार किए जाएंगे।
- 2.14 कौशल परीक्षा/वाक-इन-इंटरव्यू में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- 2.15 योजना के अंतर्गत एकमुश्त संविदा वेतन पर नियुक्त कर्मी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 से शासित होंगे तथा इन नियमों का पालन करने बाध्य होंगे।

### 3. नियुक्ति प्रक्रिया

भारत शासन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मैरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जायेंगे :-

- 3.1 वांछित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंको का Weightage देते हुए अधिकतम 60 अंक।
- 3.2 न्यूनतम अनुभव के पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के अनुभव के लिए 02 अंक दिये जायेंगे, अधिकतम 18 अंक।
- 3.3 छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदकों को 02 बोनस अंक दिए जाएंगे।

- 3.4 उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर कुल 80 अंक के आधार पर मैरिट तैयार की जाएगी।
- 3.5 वॉक इन इन्टरव्यू/कौशल परीक्षा हेतु 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनो रखा जाना है वहां दोनो में 10-10 अंक होंगे।
- 3.6 अभ्यर्थियों के चयन मैरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जावेगी।
- इन कर्मियों को अवकाश सुविधा राज्य में प्रचलित छ.ग. सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012 यथा संशोधित में संविदा कर्मियों को देय सुविधा के अनुसार दिया जावेगा। विशेष परिस्थितियों पर आवश्यकता होने पर कही यात्रा में भेजे जाने पर अथवा प्रशिक्षण पर भेजे जाने की दशा में यथोचित स्वीकृति के उपरान्त समकक्ष पद के अनुरूप यात्रा भत्ता देय होगा।

#### 4. नियुक्ति की अवधि :-

- 4.1 इन समस्त पदों पर प्रथम बार में संविदा/एकमुश्त वेतन पर अधिकतम 02 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थियों का चयन/नियुक्ति किया जाएगा तथा तत्पश्चात् कार्य योग्यता, कार्य क्षमता एवं व्यवहार तथा विभाग की आवश्यकता के आधार पर तथा नियंत्रणकर्ता अधिकारी की अनुशंसा के आधार पर उपयुक्तता का आंकलन कर संविदा/सेवा अवधि प्रत्येक बार 01 वर्ष के लिए जिला कलेक्टर द्वारा बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकेगा अन्यथा नियुक्ति की अवधि समाप्ति पर नियुक्ति स्वमेव समाप्त मानी जाएगी।
- 4.2 चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं बिना कारण बतायें भी समाप्त की जा सकती है। संविदा सेवा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा एक माह पूर्व सूचना या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
- 4.3 इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं तदोपरांत पद समाप्त कर दिये जायेंगे। पद समाप्ति के उपरान्त इन पदों पर कार्यरत कर्मियों की विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

आवेदन पत्र दिनांक 20.5.26..... से 05.06.26..... तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग बिलासपुर पुराना कम्पोजिट बिल्डिंग के पीछे स्थित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन केवल पंजीकृत डॉक/स्पीड पोस्ट/कोरियर के माध्यम से प्रेषित आवेदनों को ही स्वीकार किये जावेंगे।

जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित।



जिला कार्यक्रम अधिकारी  
महिला एवं बाल विकास विभाग  
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

प्रति,

जिला कार्यक्रम अधिकारी,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
जिला- बिलासपुर (छ0ग0)

### आवेदन का प्रारूप

स्वयं द्वारा पासपोर्ट  
साईज फोटो पर  
हस्ताक्षर किया जावे  
जिसका आधा भाग फोटो  
एवं आधा आवेदन पर  
होना चाहिए चस्पा करे

1. आवेदित पद का नाम : - .....
2. आवेदक का नाम (हिन्दी में) : - .....
- (अंग्रेजी में) : - .....
3. पिता/पति का नाम : - .....
4. स्थायी पता : - .....
5. (पत्र व्यवहार का पता) : - .....
- .....दूरभाष/मोबाईल.....
- ई-मेल आईडी.....
6. जन्मतिथि (अंको में) : - .....
- (शब्दों में)
7. दिनांक 01/01/2026 को आयु : - .....वर्ष.....माह.....दिन
8. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है:-.....
- हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करें :-.....
9. लिंग पुरुष/महिला : - .....
10. जाति/वर्ग (अ.जा/अ.ज.जा./अ.पि.व/सामान्य) : - .....
- (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण पत्र संलग्न करें)
11. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशासकीय में सेवारत है? : - .....
- हां तो संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करें।
12. विवाहित/अविवाहित/विधुर/परित्यक्ता : - .....
13. यदि आप विवाहित है तो विवाह की तिथि एवं जीवित बच्चों की संख्या : - .....
14. शैक्षणिक योग्यता :- (जन्मतिथि एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

क्र0	उत्तीर्ण परीक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	बोर्ड/संस्था का नाम	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत	श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7

15. अन्य योग्यता का विवरण : - .....
16. अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें) : - .....

संस्था का नाम	पद नाम	अनुभव का विवरण कब से कब तक	वेतन एवं पद छोड़ने का कारण

इसके अतिरिक्त अन्य कोई विवरण देना चाहे तो पृथक पत्रक में संलग्न कर सकते हैं।

1. अनिवार्य संलग्नो की सूची-
2. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होने संबंधी संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
3. जन्म तिथि हेतु 10 वी की अंकसूची / जन्मप्रमाण पत्र
4. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी संक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें
5. 12 वी की अंकसूची
6. स्नातक की अंकसूची
7. स्नातकोत्तर की अंकसूची (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
8. व्यवसायिक पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र (पद अनुरूप आवश्यक होने पर)
9. विज्ञापन अनुसार निर्धारित अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र

17. अन्य संलग्नो का विवरण

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

आवेदक का हस्ताक्षर  
आवेदक का नाम.....

घोषणा-पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिए गए समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुरूप सत्य है और यदि ये असत्य पाए जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी और मेरी विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेंगी।

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:- .....

दिनांक :-.....

